प्रेस नोट **24/05/2026**

जनपद मऊ थाना मधुबन पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने वाली घटना का अनावरण व 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर एव घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन के मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन कर लगातार सुरागरसी पतारसी, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया,

दिनांक 19.05.2026 को शिकायतकर्ता संजू यादव पुत्री लोरिक यादव निवासी पिपरा कछार थाना मधुबन द्वारा दिनांक 18.05.2026 की रात्रि 11:00 बजे एक मोटर साइकिल पर बैठे अज्ञात तीन व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से फायर कर के भाग जाने के संबंध में थाना मधुबन में मु0अ0सं0 151/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना क्रम के अनुसार दिनांक 18/05/2026 को रात्रि करीब 11.30 बजे जबकि रामभवन पुत्र लोरिक यादव घर पर मौजूद नहीं था और लोरिक यादव घर से 50 मीटर दूर भैंस के ओसारे में थे और इनकी दो लड़कियां संजू और अंजू घर के अंदर बाहर का दरवाजा बंद करके सोई थी और बाहर लोरिक यादव की वृद्ध पत्नी तख्त पर सोई थी और अचानक तीन अज्ञात लड़के जो एक सफेद रंग की अपाचे बाइक से आकर जिसमें आगे और पीछे बैठा लड़का हेलमेट लगाया था और बीच वाला बिना हेलमेट के था और असलहे से लोरिक के दरवाजे पर फायर कर देना लोरिक यादव के परिजनों द्वारा बताया गया। उक्त दरवाजे से अंदर जाने पर एक अदद फायरशुदा बुलेट मिला, जिसे फील्ड यूनिट मऊ की टीम कब्जे में ली और अन्य आवश्यक कार्यवाही की। लोरिक के परिजनों एवं पासपड़ोस के लोगों द्वारा उक्त कथित घटना के बारे में विस्तृत पूछताछ की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर संजू यादव पुत्री लोरिक यादव की तहरीरी सूचना पर क्राइम नम्बर 151/26 धारा 109(1)/351(3) BNS बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

दिनांक 24.05.2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना मधुबन पुलिस द्वारा भैरोपुर बँधा से 100 मीटर आगे पुलिया की तरफ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. रामभवन यादव पुत्र लोरिक यादव निवासी पिपरा कछार थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 26 वर्ष, 2. रामआशीष यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी रसूलपुर जगदेव थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष, 3. पीयूष कुमार यादव पुत्र जयश्री यादव निवासी ढेकवारा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष, 4. राकेश यादव उर्फ टीपू यादव पुत्र रामसोच यादव निवासी खानपुर मठिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष के कब्जे से अभियुक्तगण उपरोक्त के पास से बरामद 01 अदद तमन्चा 315 बोर व बरामदशुदा तीन अदद मोबाइल वीवो कम्पनी तथा चिटबन्दी के 3120 रूपयें को पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में बन्द कर सील सर्व मुहर किया गया व घटना में उपयुक्त मोटरसाईकिल वाहन सं0 UP54BE4333 पल्सर को सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 15/05/2026 को ग्राम पिपरा कछार थाना मधुबन के रामभवन यादव व इनके पिता लोरिक यादव द्वारा आयोजित भोज के कार्यक्रम में ग्राम के ठाकुर के कुछ लोगों को निमंत्रण देने और निमंत्रण में शामिल होने पर लोरिक यादव के विपक्षी सगे भाई चंद्रिका यादव पुत्र शिवकुमार व इनके पुत्र रामप्रवेश यादव के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए कहासुनी होना बताया गया और इसी बात को लेकर दिनांक 16/05/2026 को गांव में ही भैंस चरा रहे रामप्रवेश यादव पुत्र चंद्रिका यादव को रामभवन एवं इनके कुछ सहयोगियों द्वारा मारा पीटा गया, जिससे रामप्रवेश को हाथ पैर में चोट फ्रैक्चर आई और तभी से रामप्रवेश जिला चिकित्सालय मऊ में एडमिट होकर दवा इलाज करा रहा था, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०150/26 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/117(2) BNS बनाम लोरिक यादव,रामभवन यादव,विनीत सिंह, किरीत सिंह आदि के पंजीकृत किया गया। इसी अभियोग में समझौते का दबाव बनाने हेतु रामभवन यादव पुत्र लोरिक यादव द्वारा अभियुक्तगण रामआशीष यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी रसूलपुर जगदेव थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष, पीयूष कुमार यादव पुत्र जयश्री यादव निवासी ढेकवारा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष, राकेश यादव उर्फ टीपू यादव पुत्र रामसोच यादव निवासी खानपुर मठिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष से अपने घर पर विपक्षियों को फसाने की नियत से फायर कराया गया था ताकि उपरोक्त मुकदमें में समझौता कराया जा सके।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मधुबन पर मु0अ0सं0 151/2026 धारा 109(1), 351(3), 61(2)/217/351(1) बी.एन.एस थाना व 3/25 आर्म्स एक्ट BNS में थाना मधुबन अभियोग पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण –

1. 01 अदद तमन्चा 315 बोर (रामआशीष यादव पुत्र चन्द्रिका यादव)
2. घटना में उपयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल वाहन सं0 UP54BE4333 पल्सर
3. तीन अदद मोबाइल वीवो कम्पनी तथा चिटबन्दी के 3120 रूपयें।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 24.05.2026

समय – 01.19 बजे रात्रि

स्थान – भैरोपुर बँधा से 100 मीटर आगे पुलिया की तरफ

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता विवरण –

1. रामभवन यादव पुत्र लोरिक यादव निवासी पिपरा कछार थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 26 वर्ष,
2. रामआशीष यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी रसूलपुर जगदेव थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष,
3. पीयूष कुमार यादव पुत्र जयश्री यादव निवासी ढेकवारा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष,
4. राकेश यादव उर्फ टीपू यादव पुत्र रामसोच यादव निवासी खानपुर मठिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के मामलो में 01 पीड़ित को 41,356 /- रूपये की धनराशि वापस कराई गई–

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस की साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 01 पीड़ित की धनराशि वापस कराई गई।

थाना कोतवाली नगर से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के थाना कोतवाली नगर से पीड़ित मनोज कुमार निवासी भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को 41356 /- रुपये उनके खाते में वापस कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

गुमशुदा 03 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 63000 रुपये) बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में थाना मधुबन जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज 03 शिकायत का निस्तारण कर तत्काल तकनीकि सहायता आवेदक 01. कन्हैया पुत्र स्व0 जीवधन निवासी हरियाव थाना रामपुर जनपद मऊ, 02.अजय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी भटिया थाना मधुबन जनपद मऊ, 03. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यराम निवासी जैतपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के 03 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित को मोबाइल फोन वापस किया गया। मोबाइल प्राप्त कर लाभार्थियों द्वारा मऊ पुलिस की सराहना की गई।

मोबाइल का विवरण: –

1. एक अदद मोबाइल पोको (कीमत 15000 रूपये)।
2. एक अदद मोबाइल गैलेक्सी एम14 (कीमत 18000 रूपये)।
3. एक अदद मोबाइल वनप्लस (कीमत 30000 रूपये)

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 24.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 40 टीम गठित कर जनपद के 45 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1050 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 471 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 03 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी जिसके प्रयास से 05 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 43 मामलों में से 14 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 24.05.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 43 मामले आये जिसमें परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के प्रयास से 14 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 05 दंपति संगीता/दिनेश, मीना-बृजलाल, पुष्पा /संजय, फातिमा/अनवार, नीतू/रोहित हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 07 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु समिति की बैठक की अगली तारीख 07.06.2026 दी गयी है। परिवार परामर्श समिति की बैठक में अध्यक्ष अर्चना उपाध्याय ,सदस्य सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद रहे। सहयोगार्थ उ0नि0 इन्द्र भूषण पांडेय, समरजीत यादव , महिला आरक्षी पूनम पाल , राजलक्ष्मी त्रिपाठी रहे।